अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
16 / 2024	04 / 04 / 2024	19/01/2026

1. गुड्डी बाई पत्नि स्वर्गीय पति कमलकिशोर मीना जाति मीना उम्र 36 वर्ष निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज हाल मुकाम कांकरा मेज त. इन्द्रगढ जिला बुन्दी राज.
2. सतेन्द्र पुत्र स्वर्गीय कमलकिशोर मीना जाति मीना उम्र 38 वर्ष निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. जरिये वली गाता गुड्डी बाई पत्नि कमलकिशोर निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम कांकरा मेज त. इन्द्रगढ जिला बुन्दी राज.
3. कुलदीप पुत्र स्वर्गीय कमलकिशोर मीना जाति मीना उम्र 38 वर्ष निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. जरिये वली गाता गुड्डी बाई पत्नि कमलकिशोर निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम कांकरा मेज त. इन्द्रगढ जिला बुन्दी राज.

–प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र नाथुलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. विनोद पुत्र ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष जाति मीना निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. हैमलता पुत्री ओमप्रकाश उम्र 38 वर्ष जाति मीना निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजण् हाल मुकाम (ससुराल) मकडावदा तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
4. पिंकी पुत्री ओमप्रकाश उम्र 34 वर्ष जाति मीना निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम (ससुराल) आंकडी तहसील एवं जिला बॉरा राज.
5. अनामिका पुत्री ओमप्रकाश उम्र 25 वर्ष जाति मीना निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
6. महावीर पुत्र नाथुलाल जाति मीना निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा
7. लदुरीबाई पुत्री नाथुलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा खुर्द तहसील पीपल्दा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

–अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।
अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री हैमंत शर्मा एड0।

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी. एक्ट</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणो के पति एवं पिता कमलकिशोर व अप्रार्थीगणो के संयुक्त परीवार कि (कोपार्सनरी) पैतृक आराजी बाके माल पीपल्दा खुर्द पटवार क्षेत्र पीपल्दा खुर्द

भू0अभिलेख क्षेत्र पीपल्दा कलॉ तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित है जिसके खाता सख्या व खसरा नम्बर निम्न प्रकार है जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा खुर्द पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द खाता संख्या 15 नया व पुराना 97 ख0न0 1010 रकबा 0.09 है०, ख0न0 1017 रकबा 0.08 है०, ख0न0 1018 रकबा 0.42 है०, ख0न0 1031 रकबा 0.55 है०, ख0न0 1035 रकबा 0.57है0 ख0न0 1038 रकबा 1.15 है, ख0न0 1084 रकबा 0.04 है०, ख0न0 1118 रकबा 0.35 है०,ख0न0 1246 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1275 रकबा 0.10 है०, ख0न0 1276 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1286 रकबा 0.95 है0 ख0न0 1289 रकबा 1.20 है०, ख0न0 1290 रकबा 0.41 है०, ख0न0 1291 रकबा 0.71 है०, ख0न0 160 रकबा 0.10 है०, ख0न0 907 रकबा 0.84, ख0न0 993 रकबा 0.07 है०, ख0न0 995 रकबा 0.08 है० कुल किता 19 का कुल रकबा 7.99 है० व जमाबन्दी ग्राम खेडली देव पटवार हल्का गण्डावद भु.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुहावद मे खाता संख्या नया 6 पुराना 6 ख0न0 13 रकबा 0.51है0 ख0न0 14 रकबा 0.21 है0 140 रकबा 0.34 है0 ख0न0 142 रकबा 0.37 है0 ख0न0 15 रकबा 1.89है0 ,ख0न0 222 रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.33 हैक्टर प्रतिवादी कम 1, 6 व 7 के खातेदारी मे दर्ज है जो परिवार कि सयुक्त स्वामित्व कि आराजी है और शादी शुदा महिलाओ के अलावा सबका भरण–पोषण उक्त आराजी से प्राप्त करने के हकदार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण है जबकी प्रार्थीगणो को अपने पिता कि मृत्यु के बाद उक्त आराजी से जो भरण.पोषण हो रहा था उससे वंचित कर दिया हैं।

2. यह कि प्रार्थीगण क्रम 1 के पति व कम 2, 3 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है ओर उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से कि कृषि आराजी पर अन्य संयुक्त खातेदारो के साथ प्रार्थीगण भी अपने पिता एवं पति के हिस्से कि कृषि आराजी पर काबिज काश्त होने व उक्त हिस्से कि आराजी से भरण–पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है और प्रार्थीगण के पति व पिता की मृत्यु होने के बाद प्रार्थीगण का उक्त खाते मे अपने पिता के स्थान पर आमतौर है तथा पारिवारीक हिस्से व बटवारे के अनुसार नाम दर्ज करवाकर भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भुमि हिस्से को अपने खाते दर्ज करवाने हेतु रेवेन्यु अधिकारीयो से कई मर्तबा निवेदन करने एवं राजस्व न्यायालय में प्रार्थना.पत्र पेश करने कि सलाह देने से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

3. यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगणो के हिस्से कि आराजी मे वाद विवाद करते है बार बार पत्थर गडी करते है और अन्य वारीसो को ट्रान्सफर करने पर आमादा है जबकि मौके पर सभी संयुक्त खातेदारो ने बहामी बॅटवारा आज से कई वर्षो पूर्व किया हुआ है और संयुक्त परिवार के हिस्सेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण बार–बार प्रार्थीगण के पिता द्वारा बहामी बॅटवारे द्वारा हिस्से अनुसार बनाई गई मेढ को बार–बार तोडते है और प्रार्थीगण के हिस्से में मदाखलत मजाहमत करते है और बार–बार प्रार्थीगण के हिस्से मे कब्जा करने कि

कोशिश करते है और प्रार्थीगण को अपनी कॉपार्सनरी दखल अंदाजी करते है और उपरोक्त एवं पैतृक आराजी से भरण–पोषण प्राप्त कर विवादित आराजी का बिना विभाजन करवाये बिना पैमाईश करवाये संयुक्त खाते कि आराजी को अन्यत्र ट्रान्सफर कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है।

4. यह कि उक्त आराजी के रेवेन्यु रेकार्ड में एवं नक्शा मौका में बिना विभाजन करवाये अप्रार्थीगण द्वारा अन्यत्र ट्रान्सफर कर खुर्द–बुर्द कर प्रार्थीगण कि भुमि को कब्जे में लेकर हडप लिया जाता है तो अप्रार्थीगणो का भविष्य में कब्जा हटाना मुश्किल हो जायेगा और प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी और भविष्य मे प्रार्थीगण को वाद विवादो मे उलझना पडेगा वादीनी के पति कि मृत्यु हो चुकी है बच्चे नाबालिक है और अविवाहित है जो कानूनन अपने पिता कि सम्पत्ति एवं कृषि आराजी से प्राप्त हिस्से से अपनी शादी एवं अपनी पढाई का खर्च एवं भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है अगर उक्त आराजी से प्रार्थीगण का भरण पोषण नही करने दिया गया एवं उक्त आराजी को बैचान कर दिया तो प्रार्थीगण भुखे मर जावेगे व उनका जीवन बर्बाद हो जावेगा।

5. यह कि प्रार्थीगण के पिता कमलकिशोर कि मृत्यु हो गई है लेकिन रेवेन्यु रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण के ससुर/पिता ओमप्रकाश प्रति0 कम 1, महावीर प्रार्थीगण का चाचा प्रति0 कम0 6 व प्रार्थीगण कि बुआ लटुरीबाई प्रति0 कम 7 का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड मे दर्ज है इस प्रकार प्रतिवादी कम 7 बुआ लदुरीबाई अपने ससुराल रहती है और उक्त भुमि से कोई सरोकार नही है और पक्षकारान मीना जाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम लागु नही होता और महिलाओ को एक सीमीत अधिकार पिता कि सम्पत्ति मे है जहाँ तक मात्र शादी नही हो तब भरण–पोषण करने का अधिकार मात्र है इसलिय उक्त वाद मे शादी शुदा महिला अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं हिस्सा स्वतः हि उक्त विवादित भुमि से नाम डिलिट किया जाना लाजमी है तथा उक्त विवादित भुमि मे प्रतिवादी कम 1 व 6 का हि 1/2, 1/2 हिस्सा है और प्रार्थीगण अप्रार्थीगण कम 1 के पुत्र कमलकिशोर के वारिस है जो 1/2 हिस्सा मे आधे हिस्से यानी सम्पुर्ण आराजी मे 1/4 के हिस्सेदार है।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 15.03.2024 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगणो ने अप्रार्थीगणो से कहाँ कि उक्त आराजी जिस पर हमारा कब्जा कास्त है उस पर आप मेढ तोडकर हमारे हिस्से को खुर्द–बुर्द मत करो एवं बिना विभाजन करवाये एवं उक्त रेवेन्यु रिकॉर्डनुसार मौके पर बिना पैमाईश करवाये अन्यत्र किसी को खुर्द–बुर्द नही करे और हमें भी उक्त आराजी से होने वाली इन्कम से भरण–पोषण करने दो जिस पर अप्रार्थीगण आवेश में आ गये और धमकी देकर कहने लगें कि अब उक्त विवादित कृषि आराजी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उक्त विवादित आराजी पर हम लोग जबरदस्ती ताकत व लठ के बल पर तुम्हारे हिस्से पर कब्जा व रेवेन्यु रेकार्ड को मेरी खातेदारी मे होने से ट्रान्सफर करके रहेगें तथा अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी सरोकार करने व कब्जा करने

पर उतारू है जबकी अप्रार्थीगण को सम्पुर्ण आराजी पर ऐसा करने का कोई कानुनी हक अधिकार हाशिल नहीं है यदि अप्रार्थीगण अपने मकशद में कामयाब हो जाते है और प्रार्थीगणो को गैर कानुनी तरीके से बैदखल कर देते है तो प्रार्थीगणो को साम्पत्तिक अधिकारो का हनन होगा तथा प्रार्थीगणो को अपुर्णिय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थीगण को यह हक हासिल है कि वो अपने सांपत्तिक अधिकारों कि रक्षा करे इसलिए वादीनीगणों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगणो के विरूद्ध हक घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

7. यह कि प्रार्थना–पत्र मे राज्य सरकार लैण्ड होल्डर होने कि वजह से पक्षकार बनाना एवं दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रार्थना पत्र अर्जेन्ट नेचर का होने कि वजह से धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस समय अभाव मे दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी0पी0सी0 में अनुमति बाबत प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

8. यह कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो के पक्ष में है क्यों कि प्रार्थीगण भी उक्त आराजी के बराबर के हिस्सेदार है और अभी उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है और प्रार्थीगण भी अन्य सहखातेदारो कि तरह ही उक्त आराजी मे जन्म से ही भरण–पोषण प्राप्त करते चले आ रहे है इसलिए बिना विभाजन के एवं रेवेन्यु रिकॉर्ड कि पेमाईश करवाकर हिस्से दर्शाये बिना बैचान, वसीयत, दान, रिलिज निर्माण करने से प्रार्थीगण को ही अपुर्णिय क्षति होने कि पुर्ण सम्भावना है और सुविधा का संन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और सहदायिकी सम्पत्ति में सभी बराबर के हिस्सेदार एवं कब्जेदार है।

9. अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रार्थना है कि प्रार्थीगणो के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगणो के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जावे कि प्रार्थना पत्र कि मद नं0 1 में वर्णित विवादित कृषि आराजी जिसके खसरा नम्बर निम्न प्रकार है जमाबन्दी ग्राम पीपल्दा खुर्द पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द खाता संख्या 15 नया व पुराना 97 ख0न0 1010 रकबा 0.09 है०, ख0न0 1017 रकबा 0.08 है०, ख0न0 1018 रकबा 0.42 है०, ख0न0 1031 रकबा 0.55 है०, ख0न0 1035 रकबा 0.57है0 ख0न0 1038 रकबा 1. 15 है, ख0न0 1084 रकबा 0.04 है०, ख0न0 1118 रकबा 0.35 है०,ख0न0 1246 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1275 रकबा 0.10 है०, ख0न0 1276 रकबा 0. 09 है0, ख0न0 1286 रकबा 0.95 है0 ख0न0 1289 रकबा 1.20 है०, ख0न0 1290 रकबा 0.41 है०, ख0न0 1291 रकबा 0.71 है०, ख0न0 160 रकबा 0. 10 है०, ख0न0 907 रकबा 0.84, ख0न0 993 रकबा 0.07 है०, ख0न0 995 रकबा 0.08 है० कुल किता 19 का कुल रकबा 7.99 है० व जमाबन्दी ग्राम खेडली देव पटवार हल्का गण्डावद भु.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुहावद मे खाता संख्या नया 6 पुराना 5 ख0न0 13 रकबा 0.51है0 ख0न0 14 रकबा

0.21 है0 140 रकबा 0.34 है0 ख0न0 142 रकबा 0.37 है0 ख0न0 15 रकबा 1.89है0 ,ख0न0 222 रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.33 हैक्टर प्रतिवादी कम 1, 6 व 7 के खातेदारी मे दर्ज है जो परिवार कि सयुक्त स्वामित्व कि आराजी हैजो परिवार कि सयुक्त स्वामित्व कि आराजी है सम्पुर्ण आराजी मे से 1/4 हिस्सां जो प्रार्थीगणो का है जो वाके माल पीपल्दा खुर्द व खेडलीदेव में स्थित है तथा उक्त भुमि मे प्रार्थीगणो के कब्जे काश्त एवं हिस्से मे अप्रार्थीगण किसी किस्म कि मदाखलत मजाहमत, निर्माण कार्य, रहन, दान, बैचान, वसीयत रिलीजडिड आदि नही करे और बाधा व व्यवधान न तो स्वयं पहुंचावे नहीं अपने प्रतिनिधियों से पहुचावे ।

अप्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थना–पत्र के संबंध में निम्न जवाब प्रस्तुत किया गया:–

1. **यह कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरोधाभासी अभिवचन, कन्ट्राडिक्टरी प्लीडिंग्स पर आधारित है, उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा घोषणा खातेदारी की क्लेम प्रार्थना अथवा वाछिंत प्रार्थना मे नही की गई है। बिना खातेदारी की घोषणा प्राप्त किये अपार्थीगणो के विरूद्ध बंटवारा अथवा स्ट्रेन्जर पर्सन द्वारा निषेद्याज्ञा की मांग विधि अनुसार अनुज्ञेय नही है।**
2. **यह कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे सम्पूर्ण तथ्य भरण–पोषण से सम्बन्धित है जिस हेतु विधि द्वारा अन्य उपचार उपलब्ध है।**
3. **यह कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जिस मृतक व्यक्ति के स्थान पर प्रार्थना मे वर्णितानुसार हिस्से पर खातेदारी दर्ज करने की प्रार्थना की गई हे उक्त व्यक्ति प्रश्नगत् वाद पत्र मे वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार ही नही है ऐसी दशा मे खातेदारी की घोषणा किये बिना राजस्व रिकॉर्ड मे हिस्सा चिन्हित किया जाना अथवा दर्ज किया जाना संभव ही नही है, प्रार्थना पत्र अपूर्ण इनमैच्योर है एवं काबिल खारिजी है।**
4. **यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मे 1/4 हिस्से का हिस्सेदार प्रार्थना पत्र की मद कम 05 में दर्शित किया गया है जबकी प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की किसी भी विधि अनुसार अधिकारी नही है।**
5. **अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर विनय है कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कथित प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।**

उभयपक्ष बहस सूनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पति स्वर्गीय कमलकिशोर प्रतिवादी कम–1 के पुत्र थे तथा प्रार्थी 2 व 3 स्वर्गीय कमलकिशोर के वारिस है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। इसलिए प्रार्थी 1,2,3 का जन्म से अधिकार निहित है। अप्रार्थी भूमि खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है अतः अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी स्ट्रेन्जर है तथा बिना किसी अधिकार घोषित कराये रिकार्डेड

खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना–पत्र खारीज किया जावे। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व अभिलेख अप्रार्थी 1 , 6 तथा 7 बतौर खातेदार प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी न तो राजस्व अभिलेख में खातेदार अंकित है न ही अप्रार्थी की भूमि में किस हैसियत/भूमिका से अधिकार रखते है के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया। प्रार्थी के पति व पिता को केवल अभिकथनों में अप्रार्थी कम–1 का पुत्र बताया है जबकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेज या प्रभाव पेश नही किया है। केवल वर्तमान जमांबंदी ही प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि पैतृक है या स्व–अर्जित इसका निर्धारण भी दावे में विचारण के दौरान साक्ष्य ग्रहण करके किया जा सकेगा। जवाब सरकार में कमलकिशोर को ओमप्रकाश का पुत्र होना अंकित किया है परन्तु प्रार्थी का कब्जा नही होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्वंय को अप्रार्थी से अनुतोष प्राप्त करने के लिए योग्य होना साबित नही करने व विवादित भूमि पर कब्जा नही होने के कारण पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है। एक रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्व बिना किसी ठोस आधार के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न हो। निर्णय आज दिनांक 19/01/2026. को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा